ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/202/2023 तारीख रायु.........

दौजीराम बनाम मुल्लीराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के ताईद में वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबन्दी पेश की। व वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः उभयपक्षकारान् को उक्त अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 863, 868, 872, वाके ग्राम लाठकी तहसील कठूमर में कब्जे काश्त सम्बन्धी कार्य करने में किसी तरह की रूकावट मजाहमत पैदा ना करें। जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करें रहन बय ना करें तथा गैरसायल संख्या 3 आराजी बाबत किसी तरह का बयनामा रहननाम आदि तस्दीक व पजिवद्व ना करें। एवं रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 17.08.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 17.08.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (राज0) 17-8-23 ... वकील प्रार्थी हाजिर साबिक आदेश दिनांक............ की पालना में पत्रावली वास्ते ...... तलबी रिपोर्ट ... दिनांक......... 22/12/23 ...को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:28 IST
Reason: Self Attested

की पालना में पत्र , जो वास्ते ....बहस.... ... दिनांक........02/05/24.. को पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

2/5/24 वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये वकील व उनके प्रार्थी को बार-2 आवाजे दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अदम पैरवी वकील प्रार्थी के अदम पैरवी - अदम हाजरी के खारिज किया जाता है पत्रावली मौके तकमील होकर नम्बर से कम हो दाखिल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:28 IST
Reason: SelfAttested